

27/2/17

निदेशक का कार्यालय
प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-

पटना, दिनांक:-

प्रेषक,

नोडल पदाधिकारी (सड़क सुरक्षा कोषांग)
-सह-निदेशक,
प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान,
पथ निर्माण विभा, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (या०), दक्षिण बिहार उपभाग, प०नि०वि०, पटना।
मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, प०नि०वि०, पटना।
मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, प०नि०वि०, पटना।
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना।

विषय:- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी के द्वारा दिनांक 16.11.2016 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- (1) प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-06/सड़क सुरक्षा (कोर्ट)-06/2014 (खण्ड-II) परि०-708 पटना, दिनांक 15.02.2017
(2) **Hon'ble Supreme Court** द्वारा गठित **Committee on Road Safety** के पत्र संख्या-F.No-30/CORS/2014 dt 02.02.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि Hon'ble Supreme Court द्वारा गठित Committee on Road Safety द्वारा दिनांक 16.11.2016 को भेजे पत्र में निम्नलिखित विन्दुओं पर स्पष्ट अनुपालन प्रतिवेदन वांछित है।

S.No	Observation/Direction of Committee	Action Taken Report (Compliance)	Remarks
1	Ensure that Road Safety Audit at design, construction and operational stages is carried out by a third party to ensure user friendly road network. The Committee also directed that the State should ensure that the construction work of any road costing above Rs. Ten crores is commenced only after road safety audit is conducted by a third party at design stage and recommendations of the design stage Auditors are implemented.		
2	Status report on traffic calming measure applied on roads merging in or diverging from the National and State Highway and other important road in the State by 30 th September, 2016 & after 30 September, 2016 respectively (T-Junction, Y- Junction, + junction & Multi armed Junction seperatly.		
3	Status report on removal of hoarding and objects located within a distance of 100 meters from National and State Highway that obstruct driving or distract drivers.		

309312/17
27/2/17

IT-Manager
27.2.17

(कृ०पृ०उ०)

4	Report on action taken in accordance with Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vending) Act 2014 for removal of illegal encroachments on pedestrian path.		
---	--	--	--

अनुरोध है कि उपरोक्त विन्दुओं पर स्पष्ट प्रतिवेदन तालिका में कृपया अंकित कर 7 (सात) दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय। उल्लेखनीय है कि Committee on Road Safety की बैठक नई दिल्ली में होना है।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

नोडल पदाधिकारी (सड़क सुरक्षा कोषांग)
-सह-निदेशक,
प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-

नोडल पदाधिकारी (सड़क सुरक्षा कोषांग)
-सह-निदेशक,
प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक- 23-02-2017

ज्ञापांक-187

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (अनु०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रचारित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

नोडल पदाधिकारी (सड़क सुरक्षा कोषांग)
-सह-निदेशक,
प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।